राजस्व पर्षद, बिहार।

सं0सं0-2/24-96/2012-255

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार सिंह,
सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0,
अपर सदस्य,
राजस्व पर्षद्, बिहार।

पटना, दिनांकः- 23-02-2015

विषयः- भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा समर्पित राजस्व वाद अभिलेखों की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः- राजस्व पर्षदीय पत्रांक-स0स0-2/24-89/2011-1446 दिनांक 28.12.2011.

महाशय,

राजस्व पर्षद् के निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजस्व पर्षदीय पत्रांक-1446 दिनांक 28.12.2011 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा एवं अन्य सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारियों द्वारा समर्पित राजस्व वाद अभिलेखों की स्वीकृति हेतु उस समय तक अपनाई जा रही प्रक्रिया में बदलाव कर संबंधित पदाधिकारियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया आरम्भ की गई। पदाधिकारियों द्वारा समर्पित राजस्व वाद अभिलेख की कार्यालय स्तर पर समीक्षा कर उसके नियमानुसार अभिलिखित पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को साक्षात्कार हेतु राजस्व पर्षद् बुलाया जाता था। संबंधित अपर सदस्यों द्वारा पदाधिकारियों का साक्षात्कार लेने के पश्चात् अपने मंतव्य सहित संचिका वाद अभिलेख सहित माननीय सदस्य के समक्ष उपस्थापित की जाती थी जिस पर उनके द्वारा निर्णय लिया जाता था।

कालान्तर में ऐसा पाया गया कि राजस्व पर्षद में अपर सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहने एवं उनके अन्य कार्यो में व्यस्त रहने के कारण पदाधिकारियों का साक्षात्कार नियमित रूप से नहीं हो पाया। फलस्वरूप लंबित

113

मामलों की संख्या बढ़ने लगी जिस कारण पदाधिकारियों को सेवा से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उपर्युक्त परिस्थितियों पर सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्शानुसार सम्यक् विचारोपरान्त राजस्व वाद अभिलेखों की स्वीकृति की प्रक्रिया निम्न प्रकार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. यह प्रक्रिया भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 28.12.2011 से प्रभावी होगी एवं इसका मूल उद्देश्य उक्त तिथि के पूर्व की जो प्रणाली थी उसे पुनर्स्थापित करना है। इस क्रम में जिन मामलों का निस्तारण साक्षात्कार की प्रणाली द्वारा किया जा चुका है, उन मामलों पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. जिन पदाधिकारियों को सिर्फ त्रुटिमार्जन कर अभिलेख पुनः भेजने का निर्देश दिया जा चुका है, उनसे अभिलेख प्राप्त होने पर दिनांक 28.11.2012 से पूर्व की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उसकी समीक्षा कर नियमानुसार स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।
3. साक्षात्कार की प्रक्रिया के पश्चात् जिन पदाधिकारियों को पुनः राजस्व न्यायालय का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं वाद अभिलेख तैयार कर भेजने का निदेश है, यदि उनके द्वारा पुनः प्रशिक्षण प्राप्त कर एवं वाद अभिलेख तैयार कर भेज दिया गया है तो उन अभिलेखों की पूर्व की भांति समीक्षा कर स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।
4. वैसे मामले, जिनमें साक्षात्कार के पश्चात् दिये गये निर्देश के बावजूद संबंधित पदाधिकारी द्वारा न तो पुनः प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है और न ही पुनः अभिलेख तैयार कर भेजा गया है, तब वैसे अभिलेखों की पुनः समीक्षा की जायेगी। समीक्षोपरान्त अभिलेख में यदि त्रुटियाँ पाई गई हैं अथवा पाई जाती हैं, तो उनके परिमार्जन हेतु अभिलेख संबंधित पदाधिकारियों को भेज दिया जायेगा। त्रुटिमार्जन के पश्चात् अभिलेख प्राप्त होने पर उनकी समीक्षा कर स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।
5. वर्त्तमान में लागू किये जा रहे निर्देश के आलोक में राजस्व वाद स्वीकृत हो जाने पर स्वीकृति की तिथि उस प्रकार निर्धारित होगी मानो कि साक्षात्कार संबंधी निर्देश लागू नहीं था।

(12)

6. नकल या plagiarism पर रोक लगाने के लिये राजस्व पर्षद् में data base संधारित किया जायेगा और राजस्व वाद का अभिलेख प्राप्त होने पर data base से मिलान की जायेगी, कि नकल की गई है या नहीं। नकल या plagiarism की बात प्रमाणित होने पर संबंधित मामले में संबंधित पदाधिकारी के पैतृक विभाग को उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु राजस्व पर्षद् द्वारा अनुशंसा की जायेगी।

विश्वासभाजन,

23.2.15

सचिव,

राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2/24–96/2012–255 पटना, दिनांक– 23-02-2015

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2.15

सचिव,

राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2/24–96/2012–255 पटना, दिनांक– 23-02-2015

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2.15

सचिव,

राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2/24–96/2012–255 पटना, दिनांक– 23-02-2015

प्रतिलिपिः– माननीय सदस्य के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, परीक्षा एवं स्थापना, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2.15

सचिव,

राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना।

23/02/15